भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 87
08 फरवरी, 2022 को उत्तर के लिए नियत

"इलेक्ट्रिक कारों का विनिर्माण"

*87. **श्री कोडिकुन्नील सुरेश:**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार समर्पित विनिर्माण संयंत्रों के माध्यम से भारत में इलेक्ट्रिक कारों का विनिर्माण करने के लिए विदेशी इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं को आमंत्रित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में सरकार को इन कंपनियों से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह भी बताया है कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन करने के लिए ऑटो सेक्टर में उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से कोई विदेशी कंपनी विनिर्माण कर सकती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) से (घ): विवरण सभापटल पर प्रस्तुत है।

*****

<u>विवरण</u>

"इलेक्ट्रिक कारों का विनिर्माण" के संबंध में दिनांक 08.02.2022 को लोक सभा में उत्तर के लिए नियत श्री कोडिकुन्नील सुरेश के तारांकित प्रश्न संख्या 87 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(**क) से (घ):** सरकार ने भारत में ऑटो क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों सहित उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) वाले उत्पादों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए **15** सितंबर**, 2021** को उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम अनुमोदित की है। भारत में पंजीकृत कार्यालय वाली विदेशी कंपनियां भी इस स्कीम के तहत आवेदन करने के लिए पात्र हैं**,** बशर्ते वे इस स्कीम के तहत पात्रता मानदंड को पूरा करें और पात्र उत्पादों के उत्पादन के लिए विनिर्माण सुविधा स्थापित करें।

इस स्कीम को भारत में एएटी उत्पादों के लिए विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना में निवेश को प्रोत्साहित करके और इस पीएलआई स्कीम के तहत न्यूनतम **50%** घरेलू मूल्यवर्धन वाले एएटी उत्पादों को प्रोत्साहित करके *आत्मनिर्भर भारत* के लक्ष्य के अनुरूप बनाया गया है।

भारतीय और विदेशी कंपनियों से कुल **115** आवेदन प्राप्त हुए हैं।

*****